न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2015/226** दायर दिनांक **30.11.2015**

वदीगण		प्रतिवादीगण
1. जन्नत बानों पत्नी श्री इब्राहीम खां 2. अमीरा बानों पुत्री इब्राहीम खां 3. मनवर बानों पुत्री इब्राहीम खां 4. रोशनी बानों पुत्री इब्राहीम खां 5. इस्लाम बानों पुत्री इब्राहीम खां समस्त जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा कंला तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. लतीफ खां पुत्र इब्राहीम खां 2. रहमान खां पुत्र इब्राहीम खां 3. तहसीलदार डीडवाना 4. स्व0 बनाम बानों बैवा पन्ने खां के वारिसान 4/1 सनवारी बानों पुत्री स्व0 बनाव बानों जोजे उम्मेद खां जाति कायमखानी निवासी निम्बी कंला 4/2 जैतुन पुत्री स्व0 बनाव बानों जोजे सुल्तान खां जाति कायमखानी निवासी छोटी छापरी तहसील डीडवाना 5. सलीम खां पुत्र ममदु खां 6. मोहम्मद असलम खां पुत्र ममदु खां 7. मोहम्मद सफीक खां पुत्र ममदु खां 8. शौकत खां पुत्र ममदु खां 9. लियाकत अली खां पुत्र ममदु खां 10. गुलाब बानों बैवा ममदु खां समस्त जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा कंला तहसील डीडवाना 11. जैतुन पत्नी सुल्तान खां जाति कायमखानी निवासी छोटी छापरी तहसील डीडवाना जिला नागौर

न्यायालय सहायक कलक्टर * डीडवाना *

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 183 R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2015/215
दायर दिनांक 30.11.2015, निर्णय दिनांक 19.06.2017
जन्नत बानों बनाम लतीफ खां वगैरा।

–:: **निर्णय** ::–

दिनांक 19.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 लतीफ व रहमान कुल 7 व्यक्ति स्व0 इब्राहीम खां के विधिक वारिसान व उत्तराधिकारीगण है तथा इनकी पैतृक कृषि भूमियां सरहद ग्राम दौलतपुरा व सरदारपुरा कंला में अवस्थित है जो निम्न प्रकार है:–

सरहद ग्राम दौलतपुरा में अवस्थित भूमि :– खसरा सं0 731/535 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा (स्व0 इब्राहीम खां) खसरा सं0 527 रकबा 42 बीघा 13 बिस्वा का 1/2 भाग अर्थात 21 बीघा 06 बिस्वा (सातों नाम) शेष भाग लतीफ खां का व्यक्तिगत क्रय सुदा है। खसरा नं0 529 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा (नोट यह खसरा अकेले सातों व्यक्ति वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के कब्जे काश्त का है इसमें 1/2 भाग बनाव बानों का गलती से आया हुआ है क्योंकि सरदारपुराकंला की सरहद में एक अन्य खेत 7 बीघा का और है जिस पर कब्जा बनाव बानों के वारिसान का है किन्तु उसकी खातेदारी वादीगण स्व0 इब्राहीम के वारिसान के नाम दर्ज है। खसरा सं0 532 रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा का 1/2 भाग अर्थात 7 बीघा 12 बिस्वा सातों नाम तथा शेष 1/2 स्व0 बनाव बानों के वारिसान सं0 4/1 व 4/2 का है।

सरहद सरदारपुरा कंला के खसरा सं0 130, 346/77, 347/77 कुल रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा का 1/4 अर्थात 06 बिस्वा सातों नाम शेष खसरा प्रतिवादी सं0 05 से 11 के नाम है। खसरा सं0 77 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा सातों नाम। इन सातों वारिसान की कुल पैतृक कृषि भूमि 56 बीघा सरहद दौलतपुरा व सरदारपुरा कंला में अवस्थित है। जिसमें सातों विधिक वारिसान का बराबर बराबर हक हिस्सा व खातेदारी अधिकार है तथा इसी माफिक राजस्व रिकार्ड में इनके नाम दर्ज है। मात्र एक खसरा 731/535 वाके सरहद दौलतपुरा में सातों नाम से नामान्तरकरण होना शेष है।

प्रार्थना वादीगण है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि कुल 56 बीघा व 1/2 बिस्वा भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर उसमें से 5/7 कृषि भू भाग मौके पर पृथक व स्वतंत्र कब्जे काश्त में किया जावें तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड भी वादीगण का पृथक से अमल दरामद फरमाया जावें व घोषणा खसरा सं0 529 सरहद दौलतपुरा में 1/2 खातेदारी कथित स्व0 बनाव बानों का नाम हटाया जाकर उसे बंटवारें में सम्मिलित किया जावें तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं0 01 व 02 लतीफ व रहमान खां के इस आशय की जारी फरमायी जावें कि वे वादीगण के 5/7 हक हिस्से व कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप बाधा कारित नहीं करें और वादीगण को उसका पृथक से उपयोग उपभोग काश्त आदि उनके वांछित अनुसार करने देवें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2015/215
दायर दिनांक 30.11.2015, निर्णय दिनांक 19.06.2017
जन्नत बानों बनाम लतीफ खां वगैरा।

प्रकरण आज राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प निम्बी कंला में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया। मजमें आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वाद में वर्णित कृषि भूमिया पैतृक सम्पति है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद ग्राम दौलतपुरा के खसरा सं0 731/535 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 व 02, खसरा सं0 527 रकबा 42 बीघा 13 बिस्वा का 1/2 भाग अर्थात 21 बीघा 06 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 व 02, शेष भाग लतीफ खां का व्यक्तिगत क्रय सुदा है। खसरा नं0 529 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 व 02, खसरा सं0 532 रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा का 1/2 भाग अर्थात 7 बीघा 12 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 व 02, तथा शेष 1/2 स्व0 बनाव बानों के वारिसान सं0 4/1 व 4/2 के हक हिस्से में तथा सरहद सरदारपुरा कंला के खसरा सं0 130, 346/77, 347/77 कुल रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा का 1/4 अर्थात 06 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 व 02, शेष खसरा प्रतिवादी सं0 05 से 11 के नाम तथा खसरा सं0 77 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 के नाम खातेदारी घोषित कर पक्षकारान को उपरोक्तानुसार स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। है। वाके सरहद दौलतपुरा के खसरा सं0 529 में से बनाव बानों का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **19.06.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प निम्बी कंला में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

वइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2015/226 दायर दिनांक 30.11.2015

वदीगण		प्रतिवादीगण
1. जन्नत बानों पत्नी श्री इब्राहीम खां वगैराह जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा कंला तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. लतीफ खां पुत्र इब्राहीम खां वगैराह जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा कंला तहसील डीडवाना

दावा बावत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 19.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री वादीपक्ष व प्रतिवादीपक्ष की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ग्राम दौलतपुरा के खसरा सं0 731/535 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 व 02, खसरा सं0 527 रकबा 42 बीघा 13 बिस्वा का 1/2 भाग अर्थात 21 बीघा 06 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 व 02, शेष भाग लतीफ खां का व्यक्तिगत क्रय सुदा है। खसरा नं0 529 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 व 02, खसरा सं0 532 रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा का 1/2 भाग अर्थात 7 बीघा 12 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 व 02, तथा शेष 1/2 स्व0 बनाव बानों के वारिसान सं0 4/1 व 4/2 के हक हिस्से में तथा सरहद सरदारपुरा कंला के खसरा सं0 130, 346/77, 347/77 कुल रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा का 1/4 अर्थात 06 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 व 02, शेष खसरा प्रतिवादी सं0 05 से 11 के नाम तथा खसरा सं0 77 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 के नाम खातेदारी घोषित कर पक्षकारान को उपरोक्तानुसार स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। है। वाके सरहद दौलतपुरा के खसरा सं0 529 में से बनाव बानों का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुवलिंग...........–.............. बावत....................–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.05.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट पालोट में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner